Mob. 9470488464
E-Mail- nagarparishadmotihari@gmail.com

# कार्यालय नगर परिषद् मोतिहारी

पत्रांक 139

प्रेषक : कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, मोतिहारी ।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा),
बिहार, पटना ।
(स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा)

विषय: अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 271/2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित समर्पित करने के सम्बन्ध में ।

दिनांक 21/1/19 मोतिहारी

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के सम्बन्ध में सादर कहना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 271/2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है ।

अतः सादर अनुरोध है कि समर्पित की जा रही अनुपालन प्रतिवेदन के कंडिकाओं को विलोपित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः यथोक्त् ।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद मोतिहारी

ज्ञापांक 139 दिनांक 21/1/19

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित् ।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद मोतिहारी

(A. 581)

# कार्यालय नगर परिषद् मोतिहारी

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या– 271/2016–17 लेखा वर्ष 2015–16

| क्र० सं० | कंडिका सं० | अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | अनुपालन प्रतिवेदन |
|---|---|---|---|
| 1 | भाग– II ख 1 | (क) **सैरात की बन्दोबस्ती में राशि कम वसूली किए जाने के कारण राजस्व की क्षति रू0– 2,61,200.00** | वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राईवेट बस स्टैण्ड छतौनी का कुल बन्दोबस्ती मो0– 39,00,000.00 रूपये में श्री बीरेन्द्र राय के नाम पर बन्दोबस्ती की गयी थी । परन्तु उक्त बन्दोबस्तीधारी के द्वारा बन्दोबस्ती की राशि में से मो0– 36,38,800.00 रूपये हीं परिषद कोष में जमा कराया गया था । शेष राशि मो0– 2,61,200.00 रूपये परिषद कोष में बन्दोबस्तीधारी के द्वारा जमा नही कराया गया था । बन्दोबस्ती की अवशेष राशि मो0– 2,61,200.00 रूपये की वसूली हेतु इस कार्यालय के द्वारा बन्दोबस्तीधारी श्री बीरेन्द्र राय, पिता– राजेन्द्र राय, ग्राम– छोटा बरियारपुर, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण के उपर निलाम पत्र वाद दायर किया गया था । दायर निलाम पत्र वाद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न ।<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 2 | भाग– II ख 1 | (ख) **नगर परिषद के अन्तर्गत सैरातों की बन्दोबस्ती नहीं हो पाने के कारण संभावित राजस्व की हानि (रू0– 10.36 लाख)** | वित्तीय वर्ष 2015–16 में बकरी खस्सी कीलखाना, मवेशी ढ़ाठ, हेनरी बाजार, बलुआ बाजार एवं टाउन थाना से लेकर सदर अस्पताल के दोनों तरफ पथ के किनारे वाहनों से पार्किंग शुल्क की वसूली का बन्दोबस्ती हेतु इस कार्यालय के द्वारा कई बार बन्दोबस्ती आमंत्रण सूचना का प्रकाशन कराया गया था । परन्तु उक्त बन्दोबस्ती में किसी बन्दोबस्तीधारी के द्वारा भाग नहीं लेने के कारण उक्त सैरातों का बन्दोबस्ती नहीं हो पाया । उपरोक्त सैरातों की बन्दोबस्ती नहीं होने के कारण इस कार्यालय के द्वारा कर्मियों को अधिकृत करते हुए कार्यालय आदेश निर्गत करते हुए विभागीय वसूली करायी गयी (विभागीय वसूली हेतु निर्गत की गयी कार्यालय आदेश एवं विभागीय वसूली के द्वारा प्राप्त की गयी राशि की आंशिक प्राप्ति रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न) । विदित हो कि पाँच सैरातों में से सिर्फ उपरोक्त तीन सैरातों का हीं विभागीय वसूली करायी गयी थी शेष दो सैरात बकरी–खस्सी कीलखाना एवं मवेशी ढ़ाठ का बन्दोबस्ती विगत कई वर्षों से नहीं होने के कारण सशक्त स्थायी समिति, नगर परिषद मोतिहारी की बैठक दिनांक– 17.06.2016 के प्रस्ताव सं0– 4 में लिए गए निर्णय के आलोक में उक्त सैरातों को सैरातों की सूची से हटा दिया गया । (सुलभ प्रसंग हेतु सशक्त स्थायी समिति की बैठक की कार्यवाही बही एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में आमंत्रित की गयी बन्दोबस्ती आमंत्रण सूचना की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न )<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 3 | भाग– II ख 2 | **योजनाओं के विलम्ब से क्रियान्वयन के बावजूद विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं रू0– 1.73 लाख** | योजना सं0– 54/2015–16 में संवेदक के द्वारा कुल प्राक्कलित राशि मो0– 17,26,164.00 रूपये के विरूद्ध मो0– 10,43,103.00 रूपये के कार्य को समयावधि के अन्दर कर दिया गया था । शेष कार्य स्थल विवादित होने के कारण संवेदक के द्वारा कार्य को समय पर पुरा नहीं किया जा सका था । कार्यालय के द्वारा काफी प्रयास करने के पश्चात् अतिक्रमित स्थल को खाली करायी गयी जिसके उपरान्त उक्त कार्य को संवेदक द्वारा दिनांक– 16.06.2016 को पूर्ण करा दिया गया, तदोपरान्त योजना के विपत्र की अवशेष राशि मो0– 5,95,341.00 रूपये में से समयावधि की 10 प्रतिशत की राशि मो0– 59,534.00 रूपये का कटौती इस कार्यालय के द्वारा कर लिया गया था । सुलभ प्रसंग हेतु मापी पुस्तिका की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जा रही है । विदित हो कि जानकारी के आभाव में उक्त योजना के कुल प्राक्कलित राशि में से 10 प्रतिशत की राशि की कटौती ना करके अवशेष विपत्र की राशि से हीं 10 प्रतिशत समयावधि की राशि की कटौती की गयी थी । परन्तु अंकेक्षण दल के द्वारा दिये गये आपत्ति एवं सुझाव के आलोक में वर्त्तमान में सभी योजनाओं के विपत्रों से प्राक्कलित राशि के 10 प्रतिशत राशि का हीं समयावधि की कटौती की जा रही है । सुलभ प्रसंग हेतु वर्त्तमान में आंशिक योजनाओं के विपत्रों से कटौती की जा रही समयावधि की राशि की विवरणी (मापी पुस्त एवं कार्यालय टिप्पणी की<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाय । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | भाग– II ख 3 | संचार (मोबाईल) टावरों का अपंजीकृत रहना एवं रू0– 80,62,500.00 शुल्क बकाया रहना | संचार मीनार की बकाया राशि में से काफी राशि इस कार्यालय के द्वारा वसूली कर ली गयी है । शेष बकाया पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क की वसूली के लिए इस कार्यालय के द्वारा संचार मीनार कम्पनियों को नियमित रूप से नोटिस निर्गत किया जाता है । साथ ही दैनिक सामाचार पत्रों के माध्यम से भी संचार मीनार कम्पनियों को सूचना दी गयी थी, तथा संचार कम्पनियों को ससमय राशि नहीं जमा कराने पर मोबाईल टावरों को शील करने हेतु भी नोटिस इस कार्यालय के द्वारा निर्गत किया गया है । सुलभ प्रसंग हेतु दैनिक समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन हेतु निर्गत कार्यालय नोटिस एवं कार्यालय के द्वारा निर्गत अद्यतन नोटिस की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न ।<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 5 | भाग– II ख 5 | सेवा कर की वसूली नहीं किया जाना रू0– 1.40 लाख | वित्त विभाग भारत सरकार के पत्रांक सं0– 23/2007–ST दिनांक– 22.05.2007 की पत्र की प्रति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ था । जिसके कारण सेवा मूल्य का 10 प्रतिशत सेवाकर, देय सेवाकर का 2 प्रतिशत, शिक्षा उपकर एवं देय सेवाकर का 1 प्रतिशत Secondary and Higher education cess की वसूली नहीं किया गया था । अंकेक्षण दल के द्वारा दिये गये सूझाव के आलोक में आगे से उपरोक्त सेवाकर की राशि नियमित रूप से वसूली की जायेगी । नगर भवन के किराया के साथ सेवाकर की वसूली कर अगले अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 6 | भाग– II ख 6 | टाउन हॉल के किराया का वसूली नहीं किया जाना | सरकारी कार्यक्रमों के लिए नगर भवन को आरक्षित करने के लिए परिषद के द्वारा किसी प्रकार का भी शुल्क नहीं लिए जाने का प्रावधान किया गया है । ज्ञातब्य हो कि दिनांक– 27.05.2015, दिनांक– 20.06.2015 एवं दिनांक– 28.08.2015 को नगर भवन को केन्द्रीय कृषि मंत्री, भारत सरकार के सरकारी कार्यक्रम के लिए हीं आरक्षित किया गया था । विदित हो कि केन्द्रीय कृषि मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हीं केन्द्रिय मंत्री हैं । जिसके वजह से भूलवश आरक्षित पंजी में केन्द्रीय कृषि मंत्री के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का नाम अंकित हो गया था । जिसका सुधार आरक्षित पंजी में कर दिया गया है । सुलभ प्रसंग हेतु नगर भवन आरक्षण पंजी की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न ।<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 7 | भाग– II ख 7 | (क)<br>मुख्य (भवन) कर की बकाया राशि रू0– 449.30 लाख | कुल बकाया धृति कर की राशि मो0– 4,49,29,872.00 रूपये में से अधिकांश बकाया राशि को इस कार्यालय के द्वारा वसूली कर लिया गया है । कुछ आंशिक बकायेदारों के द्वारा बकाया राशि परिषद कोष में जमा नहीं किये जाने उपरान्त इस कार्यालय के द्वारा उन बकायेदारों के उपर राशि की वसूली हेतु निलाम–पत्र वाद दायर कर दी गयी है । सुलभ प्रसंग हेतु उक्त अवधि में वसूल की गयी बकाये राशि का आंशिक रसीद एवं दायर की गयी निलाम–पत्र वाद की सूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न ।<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 8 | भाग– II ख 7 | (ख)<br>सरकारी भवनों पर बकाया किराया रू0– 200.11 लाख | कुल बकाया सरकारी भवनों से धृति कर की राशि मो0– 2,00,10,949.00 रूपये में से काफी बकाया राशि को इस कार्यालय के द्वारा वसूली कर लिया गया है । कुछ आंशिक सरकारी भवनों से धृतिकर की बकाया राशि को वसूली नहीं किये जाने के उपरान्त इस कार्यालय के द्वारा माँगपत्र नोटिस सम्बन्धित सरकारी भवनों को भेजी गयी है । साथ हीं इसकी सूचना सरकार को भी भेजी गयी है । ताकि सरकार के स्तर से भी बकाये सरकारी भवनों की धृतिकर की राशि की वसूली कराने हेतु अपने स्तर से कार्रवाई किया जा सके । परिषद के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सरकारी भवनों पर धृतिकर की बकाये राशि की वसूली कर ली जाय । सुलभ प्रसंग हेतु उक्त अवधि में वसूल की गयी सरकारी भवनों से बकाये राशि का आंशिक रसीद एवं सरकार को भी अपने स्तर से बकाये राशि का भुगतान करने हेतु भेजी गयी अनुरोध पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न ।<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | भाग– II ख 8 | **बकाया दुकान किराया रू0– 12.27 लाख** | कुल बकाया दुकान किराया की राशि मो0– 12,27,111.00 रूपये में से अधिकांश बकाया किराये की राशि को इस कार्यालय के द्वारा वसूल कर लिया गया है । कुछ आंशिक बकायेदारों के द्वारा बकाया दुकान किराया की राशि परिषद कोष में जमा नहीं किये जाने उपरान्त इस कार्यालय के द्वारा बार–बार नोटिस भी निर्गत किया गया है अगर उनके द्वारा राशि परिषद कोष में जमा नहीं करायी जाती है तो दुकान का एकरारनामा को रद्द करते हुए दुकान को सील करते हुए बकाये राशि की वसूली हेतु निलाम–पत्र वाद दायर कर दी जायेगी । सुलभ प्रसंग हेतु उक्त अवधि में वसूल की गयी बकाये राशि का आंशिक रसीद, एवं निर्गत की गयी आंशिक नोटिस की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न ।<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 10 | भाग– III 1 | **स्वीकृत बल से अधिक कर्मी कार्यरत रहना** | परिषद का सरकार के द्वारा स्वीकृत बल काफी वर्ष पहले की थी जिसमें बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनकी आवश्यकता वर्त्तमान के समय में नहीं है तथा वर्त्तमान में कई ऐसे महत्वपूर्ण पद (जैसे लेखा सहायक, स्थापना सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, आशु लिपिक, वाहनों के संचालन हेतु चालक, योजनाओं एवं भूमि के मापी हेतु चैन मैन इत्यादि) हैं, जिनके बीना वर्त्तमान समय में परिषद के कार्यों का क्रियान्वयन कराना सम्भव नहीं है । ऐसी परिस्थिति में कार्य के महत्व को देखते हुए परिषद बोर्ड के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में उक्त पदों पर संविदा पर रखकर कार्य करायी जा रही है । जिसके लिए सरकार को भी इस कार्यालय के द्वारा बार–बार पत्र लिखा गया था, जिसके आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0– 2503 दिनांक– 03.05.2018 एवं पत्र सं0– 3453 दिनांक– 29.06.2018 के द्वारा उपरोक्त पदों को समय की महत्व को देखते हुए सृजित किया गया है । सुलभ प्रसंग हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न ।<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 11 | भाग– III 2 | **अग्रिम पंजी** | दिनांक– 31.03.2016 तक कुल असमायोजित अग्रिम राशि मो0– 2,65,000.00 रूपये का सामान्जन इस कार्यालय के द्वारा कर लिया गया है । सुलभ प्रसंग हेतु अग्रिम एवं सामान्जन पंजी की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न ।<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 12 | भाग– III 3 | **अनुदान** | अंकेक्षण दल के द्वारा दिये गये सूझाव के आलोक में परिषद के द्वारा अनुदान पंजी का संधारण किया जा रहा है । जिसमें सरकार से अलग–अलग मदों के लिए प्राप्त अनुदान की राशि एवं उस अनुदान की राशि से व्यय की जाने वाली राशि तथा अवशेष राशि का वास्तविक विवरणी को देखा जा सकता है । वर्त्तमान में संधारित की रही अनुदान पंजी की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न ।<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 13 | भाग– III 4 | **वाहनों के लॉगबुक के संधारण में अनियमितताएँ** | अंकेक्षण दल के द्वारा किये गये आपत्ति एवं सुझाव के आलोक में लॉगबुक के संधारण में जो भी कमी थी उसे दुरूस्त कर दिया गया है तथा अंकेक्षण दल के द्वारा दिये गये सूझाव के अनुसारं हीं वर्त्तमान में लॉगबुक का संधारण कराया जा रहा है । सुलभ प्रसंग हेतु वर्त्तमान में संधारित की जा रही लॉगबुक की आंशिक अभिप्रमाणित प्रति संलग्न ।<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | भाग– III 5 | **द्विप्रविष्टि प्रणाली में लेखाओं का संधारण नहीं किया जाना** | दोहरी लेखा प्रणाली के तहत् नगर परिषद के लेखाओं का संधारण कराने हेतु समय–समय पर सरकार एवं परिषद के द्वारा कर्मियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है । साथ ही यह भी प्रयास किया जा रहा है कि परिषद के लेखाओं का संधारण दोहरी लेखा प्रणाली के द्वारा ही कराया जाये । परिषद अगले वित्तीय वर्ष से दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार लेखाओं का संधारण करने हेतु पूरी तरह प्रयासरत है । आगामी वित्तीय वर्ष से दोहरी लेखा प्रणाली लेखाओं के संधारण का कार्य को प्रारम्भ करा दिया जायेगा ।<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |
| 15 | भाग– III 6 | **सामान्य अभ्युक्तियाँ** | अंकेक्षण दल के द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में सभी महत्वपूर्ण पंजियों का संधारण विधिवत रूप से की जा रही है जिसे अगले अंकेक्षण दल के समक्ष उपस्थापित कर दी जायेगी ।<br>अतः अनुरोध है कि कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय । |

21/01/19

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद मोतिहारी